भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 228

उत्तर देने की तारीख- 01/12/2025

उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात

†228. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में जीईआर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने उच्चत्तर शिक्षा संस्थानों में समानता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), वर्ष 2022-23 (प्रावधिक) के अनुसार उच्च शिक्षा में, राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 29.5 है।

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में भी शामिल है, में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(ग): सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लागू किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्ययन शाखा या संकाय की वार्षिक स्वीकृत क्षमता का 15% अनुसूचित जातियों, 7.5% अनुसूचित जनजातियों और 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। जनवरी, 2019 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क दिव्याङ्ग व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी) के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का भी दिया गया है।

शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ/परियोजनाएँ/कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाए गए हैं। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म से या विषम परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस नीति का उद्देश्य पहुँच, सहभागिता और अधिगम के परिणामों में सामाजिक विषमता को पाटना है, जिसमें महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करना भी शामिल है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में छात्रों, विशेषकर महिलाओं, के बीच उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे शुल्क में कमी, अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्तियाँ, और राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुँच, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वाले छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

सरकार उच्च शिक्षा के पहुँच को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के छत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ और अध्येतावृत्तियां कार्यान्वित कर रही है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. शिक्षा मंत्रालय
   - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) 4 घटकों सहित:

     क) पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस)

     ख) पीएम-यूएसपी शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफ़एसईएल)

ग) पीएम-यूएसपी कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (पीएम-यूएसपी सीएसएसएस)

घ) पीएम-यूएसपी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएम यूएसपी एसएसएस जेकेएल)

- प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी)
- प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएमआरएफ़)

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

- पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना
- स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा – जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट-जेआरएफ़)
- सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल कन्या संतान फेलोशिप

3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) :

- एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना
- विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री एवं डिप्लोमा)
- बालक और बालिकाओं हेतु एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री एवं डिप्लोमा)
- एआईसीटीई –जिन छात्रों की कोविड के दौरान माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो उनके लिए स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री एवं डिप्लोमा)
- एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप (एडीएफ)
- छात्राओं के लिए एआईसीटीई सरस्वती छात्रवृत्ति योजना (बीबीए, बीसीए एवं बीएमएस डिग्री
- एआईसीटीई यशस्वी (यंग अचीवर्स' स्कॉलरशिप एंड होलिस्टिक अकैडमिक स्किल्स वेंचर इनिशिएटिव) योजना 2024
- एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (पीडीएफ़)

4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

- अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना
- विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जाति (एससी) के उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां जिसमें 4 उप-योजनाएं शामिल हैं, नामतः

क) अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति योजना (टीसीएस)
ख) अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और पीएम केयर्स बाल योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस)
ग) अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) और
घ) अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी)

5. जनजातीय कार्य मंत्रालय

- अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान में नवाचार (इंस्पायर)
- विज्ञान और अभियांत्रिकी में महिलाए – किरण (वाइज-किरण)
- वाइज – पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप (वाइज-पीडीएफ)
- वाइज – सामाजिक चुनौतियाँ एवं अवसर कार्यक्रम (वाइज-स्कोप)

7. उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के छात्रों को उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता (एनईआर मेरिट छात्रवृत्ति)

*****